लाखों की नकदी हड़पी

उदयपुर, (कासं)। भूखण्ड की कीमत बढाने एवं पट्टा दिलाने का झांसा देकर पीडित से लाखों की नकदी हडपने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पीडित रमेश हंस निवासी हरिजन बस्ती नीमचखेड़ा दुर्गा कॉलोनी ने आरोपी मीरा घारू, गौरव राठोड वहरिश प्रजापत के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया।

कार्यालय नगरपालिका फतहनगर सनवाड़ जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-न.पा.फ.स./90-ए/2024-25/636 दिनांक:26/07/2024

-:: लोक -सूचना ::-

श्री नन्दलाल भील पिता श्री तलसिया भील, निवासी-काला कुंआ, भील बस्ती, खातीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर -कृषिक (आद्योगिक प्रयोजनार्थ) हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
भुपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)	राजस्व ग्राम -सादडी, (राणावतों की सादड़ी) पटवार हल्का-पटोलीया	284,	0.3800है.में से0.2737है.
		285,	0.5400है.में से0.1106है.
		कुल किता-02	यानी कुल 0.3843 हैक्टेयर यानि 41350.68 वर्गफीट यानि4594.52 वर्गगज यानि 3843 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ....को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका फतहनगर सनवाड़

कार्यालय ग्राम पंचायत पदराड़ा,
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.प./24-25/38 दिनांक-26.07.24

-: ई निविदा सूचना-01/2024-25:-

ग्राम पंचायत पदराड़ा में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 05.08.2024 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2425GLRC00316

सरपंच	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत पदराड़ा पंचायत समिति सायरा जिला-उदयपुर (राज.)	ग्राम पंचायत पदराड़ा पंचायत समिति सायरा जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत नामरी,
पंचायत समिति मावली, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-2024-25/SPL दिनांक-16.07.24

-: ई निविदा सूचना-01/2024-25:-

ग्राम पंचायत नामरी में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 30.07.2024 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2425GLRC00211

सरपंच	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत नामरी पंचायत समिति मावली जिला-उदयपुर (राज.)	ग्राम पंचायत नामरी पंचायत समिति मावली जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत कुण्डलावास,
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.प./24-25/47 दिनांक-26.07.24

-: ई निविदा सूचना-01/2024-25:-

ग्राम पंचायत कुण्डलावास में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 05.08.2024 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2425GLRC00313

सरपंच	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत कुण्डलावास पंचायत समिति सायरा जिला-उदयपुर (राज.)	ग्राम पंचायत कुण्डलावास पंचायत समिति सायरा जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत चित्रावास,
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-ग्रा.प./24-25/35 दिनांक-26.07.24

-: ई निविदा सूचना-01/2024-25:-

ग्राम पंचायत चित्रावास में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं दिनांक 05.08.2024 सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2425GLRC00318

सरपंच	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चित्रावास पंचायत समिति सायरा जिला-उदयपुर (राज.)	ग्राम पंचायत चित्रावास पंचायत समिति सायरा जिला-उदयपुर (राज.)

लूट की वारदात करना वाला फरार बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर में सिलसिलेवार चाकूबाजी कर आमजन में भय पैदा करने एवं लूट की वारदात करने वाले फरार बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 17 जुलाई को विकास बिस्त नेपाल से शहर में मजदूरी करने आया था। मैं गीतांजली चिकित्सालय में रेस्टोरेंट पर हेल्पर के रूप में काम करता हूं। रात में ड्यूटी पूरी होने पर मै व साथी बिर्जन बिस्त एकलिंगपुरा चौराहा की तरफ जा रहे थे। इस दौरान आए बाइक सवार दो बदमाशों ने रूक का मासिच मांगी। इनकार किया तो एक बदमाश ने चांटा मारा तथा चाकू से हमला कर फरार हो गए। इसी दौरान हिरणमगरी क्षैत्र में सोनीलाल उर्फ सोमराज गरासिया पुत्र थावरा निवासी नेवज थाना पानरवा, मनीष डांगी पुत्र शोभालाल डांगी मण्डी की मगरी घासा हॉल महावीरम काम्प्लेक्स के पास सेक्टर 4, लक्षिता टेलर पुत्री रामचन्द्र टेलर निवासी डूंगला चित्तौडगढ हॉल शिवानगर हिरणमगरी व एक अन्य व्यक्ति पर बदमाश चाकू बाजी कर फरार हो गए थे। एक साथ वारदात होने से शहर में भय का वातावरण लगने लगा। इस पर हिरणमगरी, सविना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में सविना थानाधिकारी राव अजयसिंह नेतृत्व में गठित दल ने पीडित कों से की गई पूछताछ एवं मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर पर्वत नायक उर्फ लक्की पुत्र सुरेश नायक निवासी संगनवास आमेट राजसमंद हॉल आकाशवाणी हिरणमगरी, मुकेश मेघवाल निवासी रावतों का आकोला भीण्डर हॉल भोपा मगरी सेक्टर 3 हिरणमगरी को नामजद कर तलाश शुरू की। इस मामले में मुखबीर सें मिली सूचना के आधार पर पुलिस दल ने आरोपी मुकेश मेघवाल पुत्र परथा मेघवाल निवासी रावतों का आकोला भीण्डर हॉल भोपा मगरी सेक्टर 3 को गिरफ्तार किया।

घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए कवायद तेज

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा में प्रस्तुत सरकार के पहले पूर्ण बजट में उदयपुर जिले को ढेरों सौगातें मिली हैं। बजट में जहां एक तरफ आधारभूत विकास पर फोकस किया गया, वहीं सभी वर्गों के सामाजिक उन्नयन पर भी ध्यान दिया गया है। पर्यटन के मामले में देश के अग्रणी शहरों में शुमार उदयपुर के आधारभूत विकास को भी राज्य बजट में खास तरजीह दी गई है। जिले में कई महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढीकरण की घोषणा हुई, वहीं कई बड़े प्रोजेक्ट की डीपीआर भी तैयार की जानी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, युडीए और नगर निकाय ने इन घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए कवायद भी तेज कर दी है।

राज्य बजट में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत उदयपुर जिले में गोगुन्दा-गणशेजी का गुड़ा-मोडी-छिपाला-मारूवास-तुला तक 14.50 किलोमीटर सड़क के लिए 18.75 करोड़ रूपए की घोषणा की गई है। पीडब्लूडी के अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) अनिल गर्ग ने बताया कि इस सड़क कार्य के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 12 जुलाई को जारी हो गई है तथा निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। गर्ग ने बताया कि क्यारी से सइकला तक सड़क एवं पुलिया निर्माण, सिरवल नदी पर पुलिया निर्माण और शिवडिया से पंपरमाल सड़क निर्माण के लिए 30 करोड़ की घोषणा हुई है। इस कार्य का फॉरकास्ट एस्टीमेंट तैयार कर मुख्य अभियंता जयपुर को प्रेषित कर दिया गया है। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

गर्ग ने बताया कि बजट में कोटड़ा से देवला रोड तक 50 किलोमीटर सड़क को 4 लेन करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने व मावली उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली तक 35 किमी सड़क के लिए डीपीआर बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके लिए डीपीआर के लिए दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। डीपीआर के लिए क्रमश: 150 लाख व 100 लाख रूपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए मुख्य अभियंता जयपुर को पत्र प्रेषित किए गए हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही डीपीआर तैयार करने के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति के लिए निविदा की जाएगी। छाणी-झाझरी रोड़ के लिए भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा बिपरजॉय तुफान, अतिवृष्टि एवं अन्य क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत के 139 कार्य बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। इसके लिए प्रारंभिक तैयारियां कर ली गई हैं। स्वीकृति प्राप्त होते ही निविदा आमंत्रित की जाएगी।

राज्य बजट में उदयपुर शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड़ की सौगात दी गई है। इसमें पारस तिराहे पर 36.16 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर निर्माण किया जाना है। इससे पारस तिराहे पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। वहीं देबारी चौराहे से प्रातपनगर चौराहे तक 125 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड़ बनना भी प्रस्तावित है। एलिवेटेड रोड़ बनने से एयरपोर्ट मुख्य मार्ग पर वर्तमान में यातायात के अत्यधिक दबाव से बनने वाली स्थितियों में काफी सुधार होगा।

सरकार करेगी अग्रणी कृषकों का सम्मान, 30 सितम्बर मांगे आवेदन

उदयपुर, (कासं)। भूमिपुत्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशाओं को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा कृषि, उद्यानिकी और पशुपालन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अग्रणी कृषकों को सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर जिले में कृषोन्नति योजना के कृषि विस्तार पर उप मिशन आत्मा योजना अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर पांच विभिन्न कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ कृषकों को पुरस्कृत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस योजना में पुरस्कृत किये जाने हेतु कृषक के मनोनयन प्रस्ताव 30 सितंबर तक आमंत्रित किये गये है। यह आमन्त्रण प्रस्ताव प्रतापनगर स्थित उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक (आत्मा) में भिजवाने होंगे।

उप निदेशक डॉ. राजेश्वरी राणावत ने बताया कि इन पुरस्कारों हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पांच कृषकों का चयन प्रत्येक गतिविधिवार यथा कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन डेयरी व मत्स्य पालन, जैविक खेती, नवाचारी खेती, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आदि गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों में से एक-एक कृषक का चयन किया जाएगा। पंचायत समिति स्तर पर चयनित कृषकों में से 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों को जिला स्तर पर चयनित किया जायेगा तथा प्रत्येक के समस्त जिलों से चयनित कृषकों में से राज्य स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ कृषकों का चयन होगा। पुरस्कार के तहत प्रत्येक गतिविधिवार पंचायत समिति स्तर पर राशि 10 हजार रुपये, जिला स्तर पर 25 हजार रुपये एवं राज्य स्तर पर 50 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

बागोलिया में ढाई, वल्लभनगर में एक इंच बारिश

उदयपुर, (कासं)। सावन माह में अच्छी बारिश व झीलों के भरने की आस लगाए बैठे शहरवासियों को शुक्रवार शाम से हो रही बूंदाबांदी ने राहत दी है। बुधवार को अच्छी बारिश के बाद गुरूवार रीता बितने के बाद मौसम में फिर उमस घुल गई थी। शुक्रवार सुबह से मौसम में धूप व उमस देखी गई और दोपहर 3 बजे बाद छंटने लगी और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। उदयपुर शहर में बूंदाबांदी का यह दौर रात 8.30 बजे तक जारी है। वहीं शाम 5 बजे तक बीते 12 घंटों में उदयपुर जिले के बागोलिया में 64 मिमी (ढाई इंच से अधिक) तो वल्लभनगर में 22 मिमी (करीब एक इंच) बारिश के समाचार मिले है। वहीं गुरूवार की तुलना में शुक्रवार को तापमान में एक डिग्री की वृद्धि के साथ यह 32.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेकसिटी के बारिश का दौर एक दिन थमने के बाद आज सुबह भी बारिश के कोई आसार नहीं दिखे लेकिन दोपहर बाद बदले मौसम के साथ बूंद-बूंद का बरसाती दौर चल रहा है। उमस को राहत देने वाली इस बूंदाबांदी के साथ ही जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के समाचार भी मिले है। हालांकि सुबह 8 बजे समाप्त बीते 24 घंटों में सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कहीं भी बारिश के समाचार नहीं मिले थे लेकिन दोपहर बाद मौसम का बदलाव शहर को गीला कर रहा है वहीं केचमेंट भी बारिश हो रही थी। इधर, शहर की प्रमुख झीलें फतहसागर व पीछोला में अभी आवक शुरू नहीं हुई है लेकिन नांदेश्वर चैनल के हल्के वेग से चलने के बाद केचमेंट में एक अच्छी बारिश सीसारमा नदी को चला सकती है।

अफीम ले जाते दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। खेरोदा थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान स्कूटी सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर स्कूटी की तलाशी ली तो डिग्गी में 1 किलों 800ग्राम अवैध अफीम मिली। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उपाधीक्षक राजेन्द्र सिंह के सुपरविजन में खेरोदा थानाधिकारी रामेग पाटीदार के नेतृत्व में गठित दल ने होटल वासुदेव के सामने नाकाबंदी के दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्धों को रोक पूछताछ की तो एक ने अपनानाम गणेशलाल पुत्र मोहनलाल निवासी मोखुन्दा रायपुर भीलवाड़ा हाल कल्याण रोड़ रहमान सरदार बिल्डिंग, नाहवी पाड़ा थाना शांतिनगर भिवण्डी ठाणे तथा दूसरे ने अपना नाम राधेश्याम पुत्र दीपलाल निवासी बडी स्कुल के आगे कानोड़ रोड़ डुगला चित्तौडगढ हॉल युवराज होटल के पास मार्केटिंग यार्ड हलोल थाना पंचमल गुजरात होना बताया। इस पर अफीम मय स्कूटी जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया।

युवक की मौत

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षैत्र में कंटेनर ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर में देबारी रोड़ पर उदयपुर से चित्तौड़ की तरफ जा रहे कंटेनर ने बाइक को कूचल दिया। हादसे में बाइक सवार झाड़ोल निवासी अरविंद (22) पुत्र धर्मा भील की मौत हो गई।

ENGINEERING COLLEGE BHARATPUR
(A Constituent College of Rajasthan Technical University, Kota)
Village-Shyorana, Near Sewar & National Highway-21, Bharatpur-321303
www.ecbharatpur.ac.in Email : principal.gecbharatpur@gmail.com Ph.: 05644-234911

No. F1(1)/GECBH/2024-25/RHTEQIS/Recruitment (ATA)/41 Date: 25.07.2024

CONTRACTUAL APPOINTMENTS (ASSISTANT TEACHING ASSOCIATES)

In compliance of the Technical Education Department, Govt. of Rajasthan order No. एफ 11(4)त.शि./2001 पार्ट वोल्यूम-1 दिनांक 03.05.2023 applications, in prescribed format, are invited from interested eligible candidates for contractual appointment on the post of **Assistant Teaching Associate** in various departments under Rajasthan Higher Technical Education Quality Improvement Scheme (RHTEQIS) at monthly fixed remuneration of INR 28850/- (Rupees Twenty Eight Thousand Eight Hundred Fifty only).

CSE (AI&DS)-01	CSE-02	Mechanical Engineering-01	Maths-01	Total
SC(F)-01	UR(F)(Widow)-01 EWS-01	ST-01	UR-01	05

**For Physically Challenged Reservation as per norms.
These contractual appointments, on merit basis, shall be made under Rajasthan Contractual Hiring on Civil Posts Rules 2022 for a period of ONE YEAR (extendable on satisfactory performance) or termination of the Scheme, whichever is earlier. Qualifications and experience for these posts will be as per norms of AICTE/UGC applicable for Teaching Posts as on date. Reservation applicable as per DOP, Govt. of Raj. order no. प. 7(2)कार्मिक/क-2/19, दिनांक 24.02.2020.

Candidate will have to attach following documents with application : DD/BC for INR 200/- (Two Hundred only) towards application fee in favor of **Principal Engineering College Bharatpur**, Self-attested photo copies of Educational qualifications (mark sheets & certificates), GATE Score Card, Caste Certificate, Certificates of experience, document related to conversion of CGPA into percentage.

Age Limit : 40 years Maximum. Relaxation as per DOP order No. F. 17(4)DOP/A-2/2014, 11.01.2022 Last date for submitting hard copy of application **by registered speed post** is **16.08.2024**. College will not be held responsible for any postal delay and will be treated rejected.

Application form, rules and related documents are available on www.ecbharatpur.ac.in

PRINCIPAL

कार्यालय ग्राम पंचायत बोखाड़ा, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-2024-25/43 दिनांक-25/7/2024

-: संशोधित ई निविदा सूचना

ग्राम पंचायत बोखाड़ा में महानरेगा व अन्य योजनाओं के करवाये जा रहे कार्यो हेतु निर्माण सामग्री उपापन की निविदाएं इस कार्यालय के निविदा सूचना संख्या 01/ 2024-25, पत्रांक पंचा/ 2024-25/33-38 दिनांक 15.07.2024 द्वारा आमंत्रित की गई थी उक्त निविदा सूचना में निविदा जमा कराने / निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक तथा निविदा खोलने की दिनांक में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. निविदा अपलोड करने की दिनांक :- 05.08.2024 सायं 6.00 बजे तक
2. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर राशि जमा कराने की दिनांक :- 06.08.2024 दोपहर 12.00 बजे तक
3. निविदा खोलने की दिनांक :- 06.08.2024 अपरान्ह 2.00 बजे से

शेष विवरण/शर्ते यथावत रहेगी।

UBN No ZUD2425GLRC00140

(कमला गरासिया)	(भरत कुमार मेघवाल)
सरपंच	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, बोखाड़ा	ग्राम पंचायत, बोखाड़ा
पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर	पं.स.सायरा, जिला-उदयपुर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पन्नाधाय कॉलोनी शाखा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001
फोन नं.: 01472-245500, ई-मेल: vjchga@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है''** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**मैसर्स श्री राम एंटरप्राईजेज** **प्रोपराईटर- श्रीमती लीला आर्य पत्नी श्री राम चन्द्र रेगर** **जमानतदार-** **श्री राम चन्द्र रेगर पुत्र श्री वरदी चन्द्र रेगर** मंडफिया, नवोदय स्कूल के पास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312027	श्रीमती लीला आर्य पत्नी श्री राम चन्द्र रेगर के नाम आवासीय मकान जो पट्टा नं. 52, ग्राम मंडफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312027 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1904 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व: बालू राम गाडरी की सम्पत्ति, पश्चिम: वरदी चंद की सम्पत्ति, उत्तर: रोड़, दक्षिण: गोकुल रेगर की सम्पत्ति अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	रूपये 24,70,437.38 दिनांक 17.04.2024 को बकाया (दिनांक 13.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	06.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 25,17,000/- धरोहर राशि- रूपये 2,51,700/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	प्रलक्षित	30.08.2024 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://ebkray.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं.- 01472-245500, मोबाईल नं. 8875006625** पर संपर्क कर सकते है।

हस्ता.
(परेश के टांक)
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

दिनांक: 26.07.2024
स्थान: चित्तौड़गढ़

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पन्नाधाय कॉलोनी शाखा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001
फोन नं.: 01472-245500, ई-मेल: vjchga@bankofbaroda.com

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है''** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्ति के साथ अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**श्री राम चन्द्र रेगर पुत्र श्री वरदी चन्द्र रेगर** **सह-ऋणी-** **श्रीमती लीला आर्य पत्नी श्री राम चन्द्र रेगर** मंडफिया, नवोदय स्कूल के पास, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312027	श्री राम चन्द्र रेगर पुत्र श्री वरदी चन्द्र रेगर के नाम आवासीय मकान जो आराजी नं. 172, ग्राम मंडफिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312027 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। सीमाएं- पूर्व: रोड़, पश्चिम: नानूराम रेगर की भूमि, उत्तर: कन्हैया लाल की दुकान, दक्षिण: रोड़ अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	रूपये 20,16,736.52 दिनांक 17.04.2024 को बकाया (दिनांक 13.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	06.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 68,80,000/- धरोहर राशि- रूपये 6,88,000/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	प्रलक्षित	30.08.2024 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://ebkray.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं.- 01472-245500, मोबाईल नं. 8875006625** पर संपर्क कर सकते है।

हस्ता.
(परेश के टांक)
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

दिनांक: 26.07.2024
स्थान: चित्तौड़गढ़

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पन्नाधाय कॉलोनी शाखा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001
फोन नं.: 01472-245500, ई-मेल: vjchga@bankofbaroda.com

अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
''परिशिष्ट-IV-क'' [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''जितनी भी उपलब्ध है''** के आधार पर **बैंक ऑफ बड़ौदा**, प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि नीचे उल्लेखित खातें की वसूली हेतु बेचा जाएगा। ऋणियों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों/प्रतिभूत आस्तियों/बकायों/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की दिनांक व समय, धरोहर राशि एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है-

क्रं./लोट नं.	ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के नाम एवं पते	ज्ञात संपत्तियों के साथ अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई-नीलामी की दिनांक / ई-नीलामी का समय प्रारम्भ समय से समाप्ति समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी) / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (प्रलक्षित/वास्तविक)	संपत्ति निरीक्षण की दिनांक व समय
1.	**मैसर्स मातेश्वरी किएशन साड़ी सेन्टर** **प्रोपराईटर-** **श्रीमती टीना शर्मा पत्नी श्री कमलेश कुमार पालीवाल** **जमानतदार-** **श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री श्याम सुन्दर गर्ग** 12-बी, अंबिकापुरी, कुम्भा नगर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001	श्रीमती टीना शर्मा पुत्री श्री प्रेम चंद शर्मा पत्नी श्री कमलेश कुमार पालीवाल के नाम आवासीय सम्पत्ति सर्वे नं. आराजी नं. 2097/2099 जो कीर खेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1172.43 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: जगदीश धोबी, दक्षिण: आम रोड़ 20 फीट, पूर्व: गीता देवी गर्ग, पश्चिम: राजू रेगर अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं	रूपये 28,26,339.97 दिनांक 28.04.2024 को बकाया (दिनांक 27.04.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य वसूली खर्चे इत्यादि।	06.09.2024 दोपहर 02:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक	आरक्षित मूल्य- रूपये 32,35,000/- धरोहर राशि- रूपये 3,23,500/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	प्रलक्षित	29.08.2024 सुबह 11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक
		श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री श्याम सुन्दर गर्ग के नाम खुला प्लॉट सर्वे नं. आराजी नं. 2088 जो कीर खेड़ा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312001 पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 945 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: प्रेम चंद शर्मा, दक्षिण: रोड़, पूर्व: पारस कंवर, पश्चिम: स्वयं का मकान अन्य ऋण भार: ज्ञात नहीं			आरक्षित मूल्य- रूपये 17,00,000/- धरोहर राशि- रूपये 1,70,000/- बोली वृद्धि राशि- रूपये 20,000/-	प्रलक्षित	

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए गए वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm एवं ऑनलाईन नीलामी पोर्टल https://ebkray.in देखें। इसके अलावा संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से **दूरभाष नं.- 01472-245500, मोबाईल नं. 8875006625** पर संपर्क कर सकते है।

हस्ता.
(परेश के टांक)
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

दिनांक: 26.07.2024
स्थान: चित्तौड़गढ़